

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),

जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 150/2005 (आरसीएमएस संख्या : 2005/00037)

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर

प्रार्थी,

बनाम

1. प्रभू पुत्र श्री नानगा, जाति-रैगर, निवासी-किरतपुरा, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।
2. रतन पुत्र श्री नानगा, जाति-रैगर, निवासी-किरतपुरा, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।
3. सुमित्रा देवी पत्नी प्रहलाद, जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर। (मृतक)
 - 3/1 गिराज प्रसाद पुत्र श्री प्रहलाद जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 3/2 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्रहलाद जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 3/3 बनवारीलाल पुत्र श्री प्रहलाद जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 3/4 मोरध्वज पुत्र श्री प्रहलाद जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 3/5 श्रवणलाल पुत्र श्री प्रहलाद जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 3/6 वासुदेव पुत्र श्री प्रहलाद जाति-ब्राह्मण, निवासी-गोपालपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 25.10.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-गोपालपुरा की आराजी खसरा नं0 458 रकबा 09 बिस्वा, आ0ख0नं0 462 रकबा 1 बीघा 18 खसरा नम्बर 1239

रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि माफी उदक भोग

मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी छीतर पुत्र श्री रामदयाल कौम ब्राह्मण साकिन

मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर

में बिना किसी वैध आदेश के माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी




छीतर पुत्र श्री रामदयाल, जाति-ब्राह्मण साकिन जयपुर के बजाय प्रभू रतन पिसरान श्री नानगा, जाति-रैगर साकिन किरतपुरा तहसील-चाकसू के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये विभिन्न नामान्तरकरण होकर जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में सुमित्रा देवी व प्रभू वगैराह के नाम दर्ज है जो पुनः माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 के कॉलम सं० 03 नाम थोक पट्टी व पटेल का नाम में माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी छीतर पुत्र श्री रामदयाल, जाति-ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये सुमित्रा देवी व प्रभू वगैराह के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात् विभिन्न नामान्तरकरण के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में दर्ज है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये हैं तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने परोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011-2030 में माफी उदक



मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी छीतर पुत्र श्री रामदयाल, जाति-ब्राह्मण साकिन दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों

के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काशत की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी छीतर पुत्र श्री रामदयाल, जाति-ब्राह्मण साकिन जयपुर की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काशत भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी छीतर पुत्र श्री रामदयाल, जाति-ब्राह्मण साकिन जयपुर की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी संक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 116 एवं नामान्तरकरण संख्या 411 ग्राम गोपालपुरा वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी उदक भोग मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर